निविदा सूचना की शर्त्तें

1. निविदा में अर्पित राशि सभी करों को छोड़कर होगा।

2. निविदा इस शर्त्त पर आमंत्रित की जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर निविदा में अर्पित अधिकतम दर पर यदि राज्य के कत्था निर्माता क्रय हेतु तैयार होंगे, तो उन्हें खैर प्रकाष्ठों की बिक्री की जा सकेगी।

3. किसी व्यक्ति को किसी कम्पनी/फर्म की ओर से निविदा देने का प्राधिकार निबंधित पावर ऑफ एटॉर्नी के रूप में होना चाहिए अन्यथा ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गयी निविदा अवैध एवं अमान्य होगी।

4. निविदा में निविदित दर 30 से0 मी0 के अन्दर, 30 से0 मी0 से 45 से0 मी0 के अन्दर, 45 से0 मी0 से 60 से0 मी0 के अन्दर, 60 से0 मी0 से 90 से0 मी0 के अन्दर एवं 90 से0 मी0 एवं अधिक परिधिवर्ग के लिए होगी।

5. उपरोक्त कंडिका 4 में वर्णित प्रत्येक परिधिवर्ग के लिए निविदत उच्चतम दर के आधार पर ही निगम द्वारा स्वीकृति दी जायेगी, जो सम्बन्धित कम्पनी/फर्म को मान्य होगी।

6. बिना कारण दर्शाये प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची किसी भी या सभी निविदा को अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे।

7. प्रत्येक निविदा के साथ ''झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, राँची'' के पक्ष में 25000/— रू0 (पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्रफ्ट जो राँची में भुगतेय हो सत्यंकर राशि के रूप में देना होगा। बिना सत्यंकर राशि के निविदा अमान्य होगी।

8. स्वीकृति आदेश निर्गत होने के 15(पन्द्रह)दिनों के अन्दर प्रतिभूति राशि के रूप में 25000/— रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो ''झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,राँची'' के पक्ष में राँची में भुगतेय हो, निगम मुख्यालय, राँची में जमा करना होगा। इसके बाद ही आवंटन होगा।

9. आवंटित खैर लकड़ी का क्रय मूल्य आदि निम्न किस्तों में देय होगा।

क्र0 सं0	किस्त	राशि	समय
1	प्रथम	कुल राशि का 40 प्रतिशत	आवंटन पत्र निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर
2	द्वितीय	कुल राशि का 30 प्रतिशत	आवंटन पत्र निर्गत की तिथि से दो महीने के अन्दर

3	तृतीय	कुल राशि का 30 प्रतिशत	आवंटन पत्र निर्गत की तिथि से तीन महीने के अन्दर

10. आवंटित खैर लकड़ियों का निर्धारित मूल्य एवं कर/सेस आदि निर्धारित तिथि के अनुसार सम्बन्धित प्रमण्डलीय प्रबंधक, को बैंक ड्राफ्ट द्वारा समय पर जमा करना होगा।

11.(क)यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर 3 प्रतिशत व्याज दर पर अधिकतम 10 दिनों का समय दिया जायेगा।

(ख)यदि क्रेता द्वारा विस्तारित समय तक भी मूल्य आदि जमा नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा खैर लकड़ी का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

12.(क)आवंटित खैर लकड़ी का मूल्य एवं कर समय पर जमा करने के पश्चात प्रमण्डलीय प्रबंधक, द्वारा निर्गत आपूर्ति आदेश के 30 (तीस) दिनों के अन्दर जमा राशि के समतुल्य खैर लकड़ी का निष्कासन क्रेता को वनागार से कर लेना होगा।

(ख)निर्धारित अवधि में खैर लकड़ी का निष्कासन नहीं करने पर 2/– रू0 प्रतिघनमीटर की दर से डीपो रेन्ट देय होगा।

13. आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर खैर लकड़ी का उठाव नहीं करने पर मूल्य, कर, प्रतिभूति राशि इत्यादि राजसात् कर ली जायेगी तथा खैर लकड़ी का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। इससे सरकार/निगम को अगर कोई क्षति होती है, तो क्रेता इसके लिए उतरदायी होंगे और उनको क्षति का भुगतान करना होगा।

14. मूल्य इत्यादि जमा करने के पश्चात् खैर लकड़ी की जिम्मेवारी क्रेता की होगी। किसी भी क्षति के लिए वन विभाग/वन निगम उतरदायी नहीं होगा। क्रेता कोई क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकते।

15. भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं भारतीय वन (बिहार संशोधित) अधिनियम 1989, बिहार अधिनियम 1990 में निहित प्रावधान इस निविदा सूचना शर्त्तों के अन्तर्गत क्रेता पर लागू होंगे।

16. क्रेता द्वारा भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में बकाये राशि की वसूली बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अधीन राजस्व की बकाये की तरह वसूल की जायेगी।

17. किसी भी प्रकार के विवाद पर प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0,राँची का निर्णय अंतिम होगा और क्रेता को मान्य होगा।

18. खैर लकड़ी की आपूर्ति तथा इस निविदा सूचना की शर्त्तों पर सभी विवादों का निपटारा झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत न्यायालय के अधीन ही किया जायेगा।

19 इस निविदा सूचना की शर्त्तो के अनुसार निविदा देने पर यह समझा जायेगा कि निविदा दाताओं को निविदा की सभी शर्त्ते स्वीकार है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– प्रबंध निदेशक,
झारखंड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची।

खैर प्रकाष्ठों का सारांश विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	प्रमंडल का नाम	वनागार का नाम	प्रचय संख्या वर्ष	लौटों की संख्या	अदद	आयतन घन मीटर में
1	गढवा दक्षिणी वन प्रमण्डल	रंका पूर्वी वन क्षेत्र परिसर	01/2005–06 02/2005–06 03/2005–06 04/2005–06 05/2005–06 06/2005–06		55 39 205 57 173 29	1.7722 1.4651 0.8391 हर्टउड 1.5287 2.0990 2.0987
			कुल	6	558	9.8028
2	गढवा दक्षिणी वन प्रमण्डल	रंका पूर्वी वन क्षेत्र परिसर	1/2006–07	1	251	4.0933 हर्टउड
3	गढवा दक्षिणी वन प्रमण्डल	भंडरिया वन क्षेत्र परिसर	ए0–बी0एच0 2007		06	1.0933 ओभर वार्क
		भंडरिया वन क्षेत्र परिसर	बी0–बी0एच0 2007		61	0.8994 हर्टउड
		भंडरिया वन क्षेत्र परिसर	सी0–बी0एच0 2007		49	0.9230 हर्टउड
			कुल	3	116	2.9157
4.	प्रमंडलीय प्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमंडल,गढ़वा	चैनपुर	10030 2004–05	1	143	5.1403 हर्टउड
5.	प्रमंडलीय प्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमण्डल,हजारीबाग	कनहरी	25 . 2002–03/ 2003–04	1	129	2.1718 जलावन
6.	प्रमंडलीय प्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमण्डल,हजारीबाग	चरही	01 . 2002–03	1	2	0.0571 जलावन
7.	प्रमंडलीय प्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमण्डल,धालभूम,जमशेदपुर	केन्द्रीय डीपू चक्रधरपुर	सी/517 (1988–89)	1	11	0.4164 जलावन

इच्छुक निविदादाता लौटों की पूर्ण विवरणी वन निगम मुख्यालय/संबंधित प्रमंडल/वनागार से प्राप्त कर सकते हैं एवं लौटों का निरीक्षण कर सकते हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची।

निविदा सूचना संख्या ल0व0प0 –03 (खैर)/2009–10

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0/प्रादेशिक वन प्रमण्डल के विभिन्न वनागारों में उपलब्ध खैर लकड़ियों के विक्रय हेतु निविदा :–

अर्पण – प्रति घन मीटर दर के आधार पर खैर लकड़ियों के लौटों के विक्रय हेतु सादे कागज पर मुहरबंद लिफाफे में इच्छुक व्यक्तियों /फर्मो /प्रतिष्ठानों द्वारा।

निविदा प्राप्ति की तिथि :– दिनांक 19.02.2010 3.00 बजे शाम तक।

निविदा खोलने की तिथि एंव समय :– दिनांक 19.02.2010 3.30 बजे शाम।

निविदा प्राप्ति का स्थान :– झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, मुख्यालय, हिनू, राँची।

सत्यंकर राशि :– झारखण्ड स्टेट फौरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो राँची में भुगतेय हो। बिना संत्यकर राशि के निविदा अमान्य की जा सकती है। देय सत्यंकर राशि एक मुश्त 25,000/– रू0 होगी।

नोट :– निविदा शर्तें तथा लोटों की विवरणी प्रमंडलीय/अचंलीय/ निगम मुख्यालय स्थित नोटिस बोर्ड अथवा झारखण्ड सरकार का Website: http:// jhar.nic.in /jsfdc. Or www.jharkhand.gov.in/jsfdc में देखी जा सकती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची।